कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 251335

क्रमांक / मा.चि. / 3373 रीवा, दिनांक 02-04-19

प्रति,

रिलायंस जियो इन्फोकॉम
लिमिटेड 3rd Floor DB MALL
Zone 1st MP Nager Bhopal (M.P)

विषय :– रीवा जिले में 4 जी Reliance jio infocomm Ltd Govindgarh - Sagouni Khurd route में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.0145 (आवेदित रकवा 0.125) हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत्। (प्रकरण क्रमांक / FP / MP / OFC / 37378 / 2018)।

संदर्भः– 1. आपका ऑन लाइन आवेदन क्रमांक FP / MP / OFC / 37378 / 2018

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू–प्रबंध का पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 630 भोपाल दिनांक 25.02.2019

------0-------

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र रीवा अंतर्गत गोविन्दगढ़ से सगौनी खुर्द मार्ग के किनारे राइट आफ वे के अंतर्गत 0.125 हे. भूमि पर आप्टिकल फाइबर लाइन डालने की अनुमति चाही गई है, जिसकी जॉच हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी रीवा को लेख किया गया। परिक्षेत्राधिकारी रीवा द्वारा आवेदित स्थल की जॉच कर प्रतिवेदन इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया, जिसमें गोविन्दढ़ से सगौनी खुर्द मार्ग के किनारे 290 मीटर लम्बाई एवं 0.5 मीटर चौडाई में केवल डालने पर कक्ष क्रमांक आर.एफ. 01 का रकवा 0.0145 हे. भूमि प्रभावित हो रही है। साथ ही इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन भाग–2 की पूर्ति कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा. चि. / 2460 दिनांक 12.03.2019 से अनुशंसा सहित मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा दिनांक 15.03.2019 से अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव मूलतः इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा दिए गए प्रावधान अनुसार, म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5 / 08 / 2002 / 10–3 भोपाल 01 जुलाई 2009 तथा वन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 18.11.2004 एवं दिनांक 14.12.2005, 01.07.2009 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ / 11 / 2015 / 2637 भोपाल दिनांक 28.10.2015 से वनभूमि अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फाइबर केवल संबंधित प्रकरणों में शर्तों के अधीन अनुमति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बाहर तथा वृक्ष की कटाई न होने पर अन्डर ग्राउण्ड आप्टिकल फाइवर केवल डालने के कार्य को एन.पी.व्ही. वसूली से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू–प्रबंध का पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 630 भोपाल दिनांक 25.02.2019 द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रकरण में यदि एन.पी.व्ही. अथवा अन्य कोई राशि आवेदक संस्थान से नहीं ली जानी है तो भी आवेदक संस्थान को ऑन लाइन राशि रुपये 100 का कैम्पा खाते में अदर मद में राशि जमा करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

गोविन्दगढ़ से सगौनी खुर्द लम्बाई 290 मीटर एवं चौड़ाई 0.5 मीटर कुल भूमि 0.0145 हे. में राइट आफ वे पर निम्न शर्तों के अंतर्गत आप्टिकल फाइबर लाइन (केवल) बिछाने की सैद्धांतिक

स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। आवेदक द्वारा राशि रुपये 100/– का भुगतान करने Mutation की कार्यवाही करने तथा सैद्वांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन शर्तवार अपलोड करने तथा हार्ड कॉपी इस कार्यालय में जमा करने उपरांत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध के निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

1. राशि रुपये 100/– कैम्पा खाते के अदर मद में जमा करना होगा।
2. वनभूमि का वैधानिक स्वरुप परिवर्तित नहीं होगा।
3. वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केवल डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट आफ वे के तहत ही होगी। राइट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
4. केवल बिछाने हेतु 1.50 मीटर गहराई 290 मीटर लम्बाई एवं 0.5 मीटर चौड़ाई से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।
5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
6. समतलीकरण का कार्य संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।
7. समतली करण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।
8. फायर आप्टिकल केवल लाइन डालते समय वृक्षो को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुॅचाई जायेगी, एवं न ही प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा।
9. संस्था द्वारा ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्था से वसूली जायेगी।
10. संस्था से लिखित वचन पत्र दिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन या वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्त मान्य होगी।
11. वनभूमि स्थित उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में OFC केवल डालने के दौरान मशीनरी (जे.सी.बी.) आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा।

विपिन कुमार पटेल (भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक./मा.चि/3374 रीवा, दिनांक 02-04-19

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2019/10–11/630 भोपाल दिनांक 25.02.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर अनुमोदन दिनांक 15.03.2019 के तारतम्स में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आपके अधीनस्थ वनक्षेत्र में डाली जाने वाली आप्टिकल फाइबर केवल लाईन की सतत निगरानी करें कि दी गई अनुमति के अतिरिक्त वनक्षेत्र के किसी प्रकार की छेडछाड न करे जिससे वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि न हो।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)